

BEFORE THE HONBLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
AT PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX

( Affidavit Of Service Along with response to the Joint  
Committee Report dated 29.10.2024 On Behalf Of the  
Applicant.)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 928 OF 2024

In the matter of :-

**Saurabh Tiwari**

Aged about 34 Years

S/o Uma Shankar Tiwari

R/o Ratnakar Vihar Colony , Samne Ghat

BHU, Varanasi, Uttar Pradesh-221005.

..... Applicant-IN-Person/Petitioner.

Versus

**Union Of India & 7 Others.**

..... Respondent(s)/Opposite Parties.

\*\*\*\*\*

S.No.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply with Affidavit Of Compliance along with Affidavit and I.D. Proof.	1-8
4.	<u>Annexure-1</u> A true copy of the E-mail receipt along with Registered post delivery report.	9-20
5.	<u>Annexure-2</u> Two member joint Committee report.	21-57

Place- Varanasi

Dated- 09.11.2024

*Saurabh Tiwari*

Applicant-In-Person

SAURABH TIWARI (Advocate)

Adv. Roll. No. D/966/2017

Office At- R/o Ratnakar Vihar Colony , Samne Ghat

BHU, Varanasi, Uttar Pradesh-221005.

Mobile No.- 9889282315

E-mail- [saurabhtiwarihighcourt@gmail.com](mailto:saurabhtiwarihighcourt@gmail.com)





1

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

( Affidavit Of Service Along with response to the Joint  
Committee Report dated 29.10.2024 On Behalf Of the  
Applicant.)

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 928 OF 2024**

**In the matter of :-**

**Saurabh Tiwari**

Aged about 34 Years  
S/o Uma Shankar Tiwari  
R/o Ratnakar Vihar Colony , Samne Ghat  
BHU, Varanasi, Uttar Pradesh-221005.

..... **Applicant-IN-Person/Petitioner-In-Person.**

**VERSUS**

- 1. Union Of India**  
Through The Secretary  
Ministry Of Environment , Forest & Climate Change ,  
Indira Paryawaran Bhawan , Jorbagh Road,  
New Delhi- 110003.  
Ph. No.- 011-20819308. E-mail id – [secy-moef@nic.in](mailto:secy-moef@nic.in)
- 2. Banaras Hindu University ,**  
Through Vice- Chancellor,  
Banaras Hindu University, Varanasi .  
Pin Code- 221005. Ph. No.- 0542-2368938,  
E-mail- [vc@bhu.ac.in](mailto:vc@bhu.ac.in) .
- 3. State Of Uttar Pradesh**  
Through Chief Secreatry, State Of U.P. 101, 'B' Block,  
Lok Bhawan, U.P. Secretariat, Lucknow – 226001, Ph.  
No-0522-2289212.E-mail – [csup@nic.in](mailto:csup@nic.in).
- 4. Central Pollution Control Board**  
Through The Chairman , Parivesh Bhawan , East Arjun ,  
Delhi-10032. Ph. No.- 011-22307233. E-mail –  
[ccb.cpcb@nic.in](mailto:ccb.cpcb@nic.in).
- 5. Uttar Pradesh Pollution Control Board**  
Through The Member Secretary ,  
Vibhuti Khand , Gomti Nagar , Lucknow  
Uttar Pradesh- 226010. Ph. No.- 0522-2720699.

*Saurabh Tiwari*

E-mail- [ms@uppcb.in](mailto:ms@uppcb.in).

6. **Environment Forest and Climate Change Department ,  
Government of Uttar Pradesh.**  
Through The Additional Chief Secretary,  
524-25 , Bapu Bhavan , Secretariat , Lucknow-226001.  
Ph.No.-0522-2239387  
E-mail- [psforest2015@gmail.com](mailto:psforest2015@gmail.com), [pccf-up@nic.in](mailto:pccf-up@nic.in)
7. **District Forest Officer, Varanasi.**  
Ashok Vihar , Ram Nagar , Varanasi(U.P.)-221001  
Ph. No.-9411255515 , E-mail- [up327@ifs.nic.in](mailto:up327@ifs.nic.in)
8. **District Magistrate , Varanasi.**  
Collectorate Compound , Varanasi, Uttar Pradesh-221102  
Mob. No.- 9454417579, E-mail id- [dmvar@nic.in](mailto:dmvar@nic.in)

..... Respondent(s)/Opposite Parties.

**This Affidavit is being filed in compliance of the last order dated 31.07.2024 passed by Hon'ble this Tribunal in in the aforementioned Original Application. However reply/response to the joint committee report dated 29.10.2024 is being also filed with this affidavit.**

1. That , in compliance of the last order dated 31.07.2024 passed in the above mentioned Original Application , a complete Petition copy along with the Order copy of Hon'ble this Tribunal has been served through E-mail as well as Registered Speed Post to all the Respondent(s) . **A true copy of the E-mail receipt along with Registered post delivery report is being filed as Annexure No. 1 to this Affidavit.**
2. That , to ascertain the truthfulness of the allegation and also the extent of trees which has been cut , Hon'ble this Tribunal vide order dated 31.07.2024 has formed the two member committee comprising of RO, MoEF and CC , Lucknow and Divisional Forest Officer, Varanasi who will act as the coordinating agency. In compliance of the said order of this

*Sauvabh Datta*

3

Hon'ble tribunal , two member committee submitted the report dated on 29.10.2024 .

3. That , on the instruction of Conservator of Forest , Varanasi Circle , Sub-Division Officer , Forest Department , Varanasi has visited to the present applicant and therefore applicant representative (Students) has shown the site in BHU, where Sandalwood (Chandan) Trees and other trees were felled down illegally.
4. That , RO, MoEF and CC, Lucknow has nominated Deputy Inspector General Of Forests(Central) as his representative . Two member Committee of Deputy Inspector General Of Forests(Central) and Divisional Forest Officer , Varanasi has submitted the 36 pages comprehensive report dated on 29<sup>th</sup> October , 2024.
5. That , **two member committee has concluded as under –**
  - (i) **Total 26 trees were felled down illegally without any permission.**
  - (ii) **Seven Chandan Trees (Sandalwood) were felled down illegally , role of the Banaras Hindu University officials is suspicious in the matter.**
  - (iii) In the two FIR registered with Lanka Police Station regarding the illegal felling/theft of the Chandan Trees(Sandalwood) by the Assistant Security Officer , Banaras Hindu University has not even mentioned the name of the species i.e Chandan Trees (Sandalwood) in the FIR not even valuation were mentioned in the FIR.
  - (iv) There is 24 Hr. security of Proctorial Board , BHU at the spot where Chandan trees were cut two times and CCTV camera were also installed. and BHU campus has large boundary from all side and at every gate of BHU there is security personal. Theft of the

*Sawab Junu*

Sandalwood trees is suspicious event. Even this information has not been supplied to the Forest Department, Varanasi.

(v) That Forest Crime No. 43/2024-25 has been registered against the Registrar , Banaras Hindu University Under relevant section 4 & 10 of “ The U.P. Protection of Trees Act , 1976 and Section/rule 3 & 28 of the Uttar Pradesh Timber and other Forest Produce Transportation Rules 1978.

(vi) Two member committee report further said that the allegation of the applicant is found to be true.

6. That , in the illegal felling and theft of seven Sandalwood trees , role of the Banaras Hindu University officials is suspicious. Because First Information report is manipulated and despite the availability of the CCTV footage and security at the spot no action were taken against the wrongdoers. Further, as per information local police filed final report and closed the case. As two member committee clearly points out the role of BHU officials is suspicious. Two member joint Committee report is being annexed and Marked as Annexure No. 2 to this Affidavit. However claim of the two member committee that 1600 plants/trees were planted as compensatory is not true.

7. That , there is about more than 300 hundred trees were felled down illegally without consent/requisite permission/NoC in recent three years. Correct factual position can be ascertained by comparing the satellite image of 2 to 3 years . Satellite image/report may be sought from the Surveyor General Of India.

8. That , a heavy fine as compensation may also be imposed on the Banaras Hindu University for causing environmental damage apart from that fine may also be imposed on Vice

*Saurabh Prasad*

Chancellor , BHU. Apart from it remediation and restoration action may be taken for damaged cause to the environment.

9. That , due to apparent hand in glove of the perpetrators ( i.e BHU high ranking officials) of illegal felling of Chandan trees and local police case has been closed. So , in this matter a high empowered committee may be constituted to investigate/enquiry in the entire matter. And apart from penalty a criminal action may also be initiated against the corrupt/guilty , BHU officials.
10. That , it is humbly prayed that kindly take on record the above mentioned fact/submission . And in the light of the prayer in the original application and this affidavit , Hon'ble this Tribunal may pass order in the interest of justice.

Dated- 09.11.2024

Place- Varanasi

*Saurabh Tiwari*

**Applicant-In-Person**

**SAURABH TIWARI (Advocate)**

**Adv. Roll. No. D/966/2017**

**E-mail- [saurabhtiwarihighcourt@gmail.com](mailto:saurabhtiwarihighcourt@gmail.com)**

**Mobile No. -9889282315**

*Saurabh Tiwari*



6

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
AT PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

16/3/24  
09.11.24



**AFFIDAVIT**  
**IN**

Affidavit Of Service Along with response to the Joint  
Committee Report dated 29.10.2024.)

**IN**  
**ORIGINAL APPLICATION NO 928 OF 2024**



**IN THE MATTER OF :-**

**Saurabh Tiwari**  
Aged about 34 Years  
S/o Uma Shankar Tiwari  
R/o Ratnakar Vihar Colony , Samne Ghat  
BHU, Varanasi, Uttar Pradesh-221005.

..... Applicant-IN-Person/Petitioner-In-Person.

**Versus**

1. **Union Of India**  
**Through The Secretary**  
**Ministry Of Environment , Forest & Climate Change ,**  
**Indira Paryawaran Bhawan , Jorbagh Road, New Delhi-**  
**110003.**  
**Ph. No.- 011-20819308. E-mail id – secy-moef@nic.in**
2. **Banaras Hindu University ,**  
**Through Vice- Chancellor, Banaras Hindu University,**  
**Varanasi .**  
**Pin Code- 221005. Ph. No.- 0542-2368938,E-mail-**  
**vc@bhu.ac.in .**
3. **State Of Uttar Pradesh**  
**Through Chief Secreatry, State Of U.P. 101, 'B' Block,**  
**Lok Bhawan, U.P. Secretariat, Lucknow – 226001, Ph.**  
**No-0522-2289212.E-mail – csup@nic.in.**
4. **Central Pollution Control Board**  
**Through The Chairman , Parivesh Bhawan , East Arjun ,**  
**Delhi-10032. Ph. No.- 011-22307233. E-mail –**  
**ccb.cpcb@nic.in.**



Saurabh Tiwari

5. **Uttar Pradesh Pollution Control Board Through The Member Secretary , Vibhuti Khand , Gomti Nagar , Lucknow**  
Uttar Pradesh- 226010. Ph. No.- 0522-2720699. E-mail- [ms@uppcb.in](mailto:ms@uppcb.in).
6. **Environment Forest and Climate Change Department , Government of Uttar Pradesh. Through The Additional Chief Secretary, 524-25 , Bapu Bhavan , Secretariat , Lucknow-226001. Ph. No.- 0522-2239387 E-mail- [psforest2015@gmail.com](mailto:psforest2015@gmail.com), [pccf-up@nic.in](mailto:pccf-up@nic.in)**
7. **District Forest Officer, Varanasi.**  
Ashok Vihar , Ram Nagar , Varanasi(U.P.)-221001  
Ph. No.-9411255515 , E-mail- [up327@ifs.nic.in](mailto:up327@ifs.nic.in)
8. **District Magistrate , Varanasi.**  
Collectorate Compound , Varanasi, Uttar Pradesh-221102  
Mob. No.- 9454417579, E-mail id- [dmvar@nic.in](mailto:dmvar@nic.in)


I , Aged about 34 Years , S/o Uma Shankar Tiwari , R/o Ratnakar Vihar Colony , Samne Ghat ,BHU, Varanasi, Uttar Pradesh-221005, Mobile No.-9889282315 , do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That, the deponent as an Applicant-In-Person is being well conversant with the facts and circumstances of the case and also competent to swear the present affidavit.
2. That , the accompanying Reply/Affidavit of compliance has been drafted under my instruction and I say that averments made therein are true on the basis of record.
3. That , the contents of the present Reply/Affidavit are drafted by me along with the respective counsel are true to the best of my knowledge and derived from the records maintained by me. That the contents of the affidavit have been drafted under my instruction and have been read over to me.



*Sawabhi Tiwari*

4. That , the contents of the paragraph nos -3- of this Reply/Affidavit are true to my personal knowledge and those of paragraph nos. 1,2(P),6(P) of this Reply/Affidavit are based on perusal of records and those of paragraph nos. 2(P),4, 6(P) & 7 of the accompanying Reply/Affidavit are based on information and those contents of paragraph nos. 5,8,9 & 10 of the Reply/Affidavit are based on legal advice , which all I believe to be true and that no part of it is false and nothing material has been concealed in it.



*Sawabh Puri*  
(DEPONENT)

**VERIFICATION**

Verified at Varanasi on this 9<sup>TH</sup> Day of November , 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


*Sawabh Puri*  
(DEPONENT)

NOTARIAL  
 1-दस्तावेज Document  
 2-लिपि / Registration  
 3-क्र.सं. Sr.No 166639  
 4-दिनांक Date 09-11-24  
 5-स्थान/Place  
 6-द्वारा/By

Oath commissioner

*Uday Krishna*

*Sawabh Puri*



*Saurabh Tiwari*

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
AT PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ANNEXURE NO. (1)

IN  
Reply/Affidavit Of Compliance  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO 928 OF 2024

IN THE MATTER OF :-

Saurabh Tiwari

..... Applicant-IN-Person/Petitioner-In-Person.

Versus

Union Of India & Ors.

..... Respondent(s)/Opposite Parties.

\*\*\*\*\*

A true copy of the E-mail receipt along with Registered post  
delivery report.



*Saurabh Tiwari*



Saurabh Tiwari &lt;saurabhtiwarihighcourt@gmail.com&gt;

**NOTICE ,In Original Application No. 928/2024 .**

2 messages

Saurabh Tiwari &lt;saurabhtiwarihighcourt@gmail.com&gt;

Wed, Aug 7, 2024 at 3:19 PM

To: secy-moef@nic.in, vc@bhu.ac.in, csup@nic.in, ccb.cpcb@nic.in, ms@uppcb.in, mscb.cpcb@nic.in,  
psforest2015@gmail.com, pccf-up@nic.in, pccfup@nic.in, up327@ifs.nic.in, dmvar@nic.in  
Cc: judicial-ngt@gov.in

**Notice for hearing in O.A NO. 928 OF 2024 (Saurabh Tiwari Vs. Union Of India & Ors. ) Before Hon'ble National Green Tribunal , New Delhi .**

To ,

1. Union Of India  
Through The Secretary  
Ministry Of Environment , Forest & Climate Change ,  
Indira Paryawaran Bhawan , Jorbagh Road, New Delhi-  
110003.  
Ph. No.- 011-20819308. E-mail id - secy-moef@nic.in
2. Banaras Hindu University ,  
Through Vice- Chancellor, Banaras Hindu University,  
Varanasi .  
Pin Code- 221005. Ph. No.- 0542-2368938, E-mail-  
vc@bhu.ac.in .
3. State Of Uttar Pradesh  
Through Chief Secretary, State Of U.P. 101, 'B' Block,  
Lok Bhawan, U.P. Secretariat, Lucknow - 226001, Ph. No-  
0522-2289212. E-mail - csup@nic.in.
4. Central Pollution Control Board  
Through The Chairman , Parivesh Bhawan , East Arjun ,  
Delhi-10032. Ph. No.- 011-22307233. E-mail -  
ccb.cpcb@nic.in.
5. Uttar Pradesh Pollution Control Board Through The  
Member Secretary , Vibhuti Khand , Gombi Nagar , Lucknow  
Uttar Pradesh- 226010. Ph. No.- 0522-2720699. E-mail-  
ms@uppcb.in.
6. Environment Forest and Climate Change Department ,  
Government of Uttar Pradesh. Through The Additional Chief  
Secretary, 524-25 , Babu Bhavan , Secretariat , Lucknow-  
Ph. No.- 0522-2239387 E-mail-  
psforest2015@gmail.com, pccf-up@nic.in
7. District Forest Officer, Varanasi.  
U.K. Ashok Vihar , Ram Nagar , Varanasi (U.P.)-221001  
Ph. No.- 9411255515 , E-mail- up327@ifs.nic.in
8. District Magistrate , Varanasi.  
Collectorate Compound , Varanasi, Uttar Pradesh-221102



Mob. No.- 9454417579, E-mail id- dmvar@nic.in

11

**Subject- Notice for hearing in O.A NO. 928 OF 2024 (Saurabh Tiwari Vs. Union Of India 7 Ors. ).**

Dear Sir/Madam ,

I am Saurabh Tiwari (In-Person) in O.A NO. 928 /2024 (Saurabh Tiwari Vs. UoI & Ors.) , hereby directed by the order dated 31<sup>st</sup> July , 2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal , Principal bench , New Delhi to inform all the respondents and serve notice for hearing.

Hon'ble National Green Tribunal , Principal Bench , New Delhi fixed the 11.11.2024 as next date of hearing in the aforesaid matter.

So , kindly ensure your presence on next date of hearing i.e 11.11.2024 in O.A. NO. 928/2024.

Enclosed-

- (1) Hon'ble National Green Tribunal Order in (O.A NO. 928/24).
- (2) Original Application true copy.

**Applicant-In-Person**

Saurabh Tiwari

Advocate


R/o Ratnakar Vihar Colony

Samne Ghat , Varanasi.

MOB. NO.- 9889282315

E-mail- saurabhitiwarighcourt@gmail.com

Please find the attachment (Hon'ble Tribunal Order with O.A. Copy) .

 NOTICE IN O.A. NO. 928 OF 2024.pdf  
7933K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>  
To: saurabhitiwarighcourt@gmail.com

Wed, Aug 7, 2024 at 3:21 PM



### Address not found

Your message wasn't delivered to pccfup@nic.in because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

The response from the remote server was:  
550 #5.1.0 Address rejected.



*Saurabh Tiwari*

Final-Recipient: rfc822: pccfup@nic.in

11/9/24, 10:49 AM

Gmail - NOTICE In Original Application No. 928/2024 .

Status: 4.4.2

Remote-MTA: dns; mailgwgov.nic.in. (164.100.2.235, the server for the domain nic.in.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 #5.1.0 Address rejected.

Last-Attempt-Date: Wed, 07 Aug 2024 02:51:16 -0700 (PDT)

12

----- Forwarded message -----

From: Saurabh Tiwari <saurabhtiwarihighcourt@gmail.com>

To: secy-moef@nic.in, vc@bhu.ac.in, csup@nic.in, ccb.cpcb@nic.in, ms@uppcb.in, mscb.cpcb@nic.in, psforest2015@gmail.com, pccf-up@nic.in, pccfup@nic.in, up327@ifs.nic.in, dmvar@nic.in

Cc: judicial-ngt@gov.in

Bcc:

Date: Wed, 7 Aug 2024 15:19:12 +0530

Subject: NOTICE ,In Original Application No. 928/2024 .

----- Message truncated -----



Saurabh Tiwari

13

भारतीय डाक  
डाक सेवा-जल सेवाIndia Post  
Dak Seva Jan Seva

You are here Home&gt;&gt; Track Consignment

## Track Consignment

Quick help

\* Indicates a required field.

\* Consignment Number

EU544951516IN

Track More

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	18/10/2024 15:29:32	221002	29.50	Inland Speed Post	Varanasi Cantt HO	19/10/2024 17:53:58


Event Details For : EU544951516IN

Current Status : Item Delivered(Addressee)

Date	Time	Office	Event
19/10/2024	17:53:58	Varanasi Cantt HO	Item Delivered(Addressee)
19/10/2024	11:16:51	Varanasi Cantt HO (Beat Number:3)	Item Delivered [To: District Magistrate (Article Receipt Room) ]
19/10/2024	09:02:52	Varanasi Cantt HO	Out for Delivery
19/10/2024	07:07:05	Varanasi Cantt HO	Item Received
19/10/2024	04:26:51	MA Varanasi Cantt RMS	Item Dispatched
19/10/2024	03:51:02	MA Varanasi Cantt RMS	Item Received
19/10/2024	02:19:38	Varanasi NSH	Item Bagged
18/10/2024	22:57:49	Varanasi NSH	Item Received
18/10/2024	21:55:30	MA Varanasi Cantt RMS	Item Dispatched
18/10/2024	21:48:16	MA Varanasi Cantt RMS	Item Received
18/10/2024	16:41:58	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Dispatched
18/10/2024	16:33:32	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Bagged
18/10/2024	15:29:32	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Booked

Home  
About Us  
Forms  
Recruitments  
Holidays  
Feedback  
Right To Information

Tenders India  
Related sites  
Website Policies  
Contact Us



भारतीय डाक  
डाक सेवा-जन सेवा



India Post  
Dak Seva Jan Seva



You are here Home>> Track Consignment

## Track Consignment

Quick help

\* Indicates a required field.

\* Consignment Number

EU544951621IN

Track More

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	18/10/2024 15:29:32	221001	29.50	Inland Speed Post	Varanasi HO	19/10/2024 16:47:46

Event Details For : EU544951621IN

Current Status : Item Delivered(Addressee)

Date	Time	Office	Event
19/10/2024	16:47:46	Sarnath SO	Item Delivered(Addressee)
19/10/2024	10:02:57	Sarnath SO (Beat Number:5)	Item Delivered [To: b5s (Addressee) ]
19/10/2024	09:38:11	Sarnath SO	Out for Delivery
19/10/2024	08:05:55	Sarnath SO	Item Received
19/10/2024	04:19:15	MA Varanasi Cantt RMS	Item Dispatched
19/10/2024	03:51:02	MA Varanasi Cantt RMS	Item Received
19/10/2024	03:35:13	Varanasi NSH	Item Dispatched
19/10/2024	00:23:30	Varanasi NSH	Item Bagged
18/10/2024	22:57:49	Varanasi NSH	Item Received
18/10/2024	21:55:30	MA Varanasi Cantt RMS	Item Dispatched
18/10/2024	21:48:16	MA Varanasi Cantt RMS	Item Received
18/10/2024	16:41:58	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Dispatched
18/10/2024	16:33:32	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Bagged
18/10/2024	15:29:32	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Booked

Home  
About Us  
Forms  
Recruitments  
Holidays  
Feedback  
Right To Information

Tenders India  
Related sites  
Website Policies



Sawabhi Duni

15



You are here Home&gt;&gt; Track Consignment

## Track Consignment

Quick help

\* Indicates a required field.

\* Consignment Number

EU544951618IN

Track More

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	18/10/2024 15:29:32	110032	47.20	Inland Speed Post	Shahdara SO	21/10/2024 16:07:44

## Event Details For : EU544951618IN

## Current Status : Item Delivered(Addressee)

Date	Time	Office	Event
21/10/2024	16:07:44	Shahdara SO	Item Delivered(Addressee)
21/10/2024	11:02:34	Shahdara SO	Out for Delivery
21/10/2024	08:27:11	Shahdara SO	Item Received
20/10/2024	05:02:49	Delhi AP TMO	Item Dispatched
20/10/2024	00:30:12	Delhi AP TMO	Item Received
19/10/2024	10:20:00	MA APTMO Varanasi RMS	Item Dispatched
19/10/2024	08:36:47	MA APTMO Varanasi RMS	Item Received
19/10/2024	02:33:19	Varanasi NSH	Item Dispatched
18/10/2024	23:51:25	Varanasi NSH	Item Bagged
18/10/2024	22:52:07	Varanasi NSH	Item Received
18/10/2024	21:55:30	MA Varanasi Cantt RMS	Item Dispatched
18/10/2024	21:48:16	MA Varanasi Cantt RMS	Item Received
18/10/2024	16:41:58	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Dispatched
18/10/2024	16:31:17	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Bagged
18/10/2024	15:29:32	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Booked

Home  
About Us  
Forms  
Recruitments  
Holidays  
Feedback  
Right To Information



Sawabhi

Tenders India

Feedback



Sign In

Register

16



A



हिन्दी

भारतीय डाक  
डाक सेवा जन सेवाIndia Post  
Dak Seva Jan Seva

You are here Home&gt;&gt; Track Consignment

## Track Consignment

Quick help

\* Indicates a required field.

\* Consignment Number

EU544951502IN

Track More

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location
Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	18/10/2024 15:29:32	226010	47.20	Inland Speed Post	Gomti Nagar SO

Event Details For : EU544951502IN

Current Status : Out for Delivery

Date	Time	Office	Event
22/10/2024	10:15:33	Gomti Nagar SO	Out for Delivery
22/10/2024	08:07:58	Gomti Nagar SO	Item Received
21/10/2024	15:30:00	Lucknow NSH	Item Dispatched
21/10/2024	15:00:00	Lucknow NSH	Item Bagged
19/10/2024	19:49:24	MA Lucknow RMS	Item Dispatched
19/10/2024	16:58:45	MA Lucknow RMS	Item Received
19/10/2024	07:38:47	MA RSTMO VARANASI RMS	Item Dispatched
19/10/2024	04:14:07	MA RSTMO VARANASI RMS	Item Received
19/10/2024	02:43:48	Varanasi NSH	Item Dispatched
19/10/2024	00:06:48	Varanasi NSH	Item Bagged
18/10/2024	22:52:07	Varanasi NSH	Item Received
18/10/2024	21:55:30	MA Varanasi Cantt RMS	Item Dispatched
18/10/2024	21:48:16	MA Varanasi Cantt RMS	Item Received
18/10/2024	16:41:58	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Dispatched
18/10/2024	16:31:17	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Bagged
18/10/2024	15:29:32	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Booked

Home  
About Us  
Forms  
Recruitments  
Holidays  
Feedback  
Right To Information



*U.K. Chaturvedi*

Tenders India

17



You are here Home >> Track Consignment

## Track Consignment

[Quick help](#)

\* Indicates a required field.


\* Consignment Number

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	18/10/2024 15:29:32	226001	47.20	Inland Speed Post	Lucknow GPO	22/10/2024 14:55:08

### Event Details For : EU544951493IN

Current Status : Item Delivered(Addressee)

Date	Time	Office	Event
22/10/2024	14:55:08	Lucknow GPO	Item Delivered(Addressee)
22/10/2024	11:12:00	Lucknow GPO (Beat Number:33)*	Item Delivered [To: p s van (Addressee) ]
22/10/2024	10:28:07	Lucknow GPO	Out for Delivery
22/10/2024	07:56:31	Lucknow GPO	Item Received
21/10/2024	15:30:00	Lucknow NSH	Item Dispatched
21/10/2024	15:00:00	Lucknow NSH	Item Bagged
19/10/2024	19:49:24	MA Lucknow RMS	Item Dispatched
19/10/2024	16:58:45	MA Lucknow RMS	Item Received
19/10/2024	07:38:47	MA RSTMO VARANASI RMS	Item Dispatched
19/10/2024	04:14:07	MA RSTMO VARANASI RMS	Item Received
19/10/2024	02:43:48	Varanasi NSH	Item Dispatched
19/10/2024	00:06:48	Varanasi NSH	Item Bagged
18/10/2024	22:52:07	Varanasi NSH	Item Received
18/10/2024	21:55:30	MA Varanasi Cantt RMS	Item Dispatched
18/10/2024	21:48:16	MA Varanasi Cantt RMS	Item Received
18/10/2024	16:41:58	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Dispatched
18/10/2024	16:31:17	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Bagged
18/10/2024	15:29:32	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Booked



- Home
- About Us
- Forms
- Recruitments
- Holidays

*Handwritten signature*

Sign In Register

18

हिन्दी

भारतीय डाक  
डाक सेवा-जान सेवा



India Post  
Dak Seva Jan Seva



You are here Home>> Track Consignment

## Track Consignment

Quick help

\* Indicates a required field.

\* Consignment Number



Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location
Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	18/10/2024 15:29:32	226001	70.80	Inland Speed Post	Lucknow GPO

### Event Details For : EU544951723IN

Current Status : Item Bagged

Date	Time	Office	Event
21/10/2024	15:00:00	Lucknow NSH	Item Bagged
19/10/2024	19:49:24	MA Lucknow RMS	Item Dispatched
19/10/2024	16:58:45	MA Lucknow RMS	Item Received
19/10/2024	07:38:47	MA RSTMO VARANASI RMS	Item Dispatched
19/10/2024	04:14:07	MA RSTMO VARANASI RMS	Item Received
19/10/2024	02:43:48	Varanasi NSH	Item Dispatched
19/10/2024	00:06:48	Varanasi NSH	Item Bagged
18/10/2024	22:52:07	Varanasi NSH	Item Received
18/10/2024	21:55:30	MA Varanasi Cantt RMS	Item Dispatched
18/10/2024	21:48:16	MA Varanasi Cantt RMS	Item Received
18/10/2024	16:41:58	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Dispatched
18/10/2024	16:31:17	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Bagged
18/10/2024	15:29:32	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Booked

- Home
- About Us
- Forms
- Recruitments
- Holidays
- Feedback
- Right To Information

- Tenders India
- Related sites
- Website Policies
- Contact Us
- Employee Corner



*U.K. Chaturvedi*



Sign In

Register



A

ॐ

हिन्दी



Q

19

भारतीय डाक  
डाक सेवा-जन सेवाIndia Post  
Dak Seva Jan Seva

You are here Home&gt;&gt; Track Consignment

## Track Consignment

Quick help

\* Indicates a required field.

\* Consignment Number

EU544951480IN

Track More

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	18/10/2024 15:29:32	110003	47.20	Inland Speed Post	Lodi Road HO	21/10/2024 16:11:48

Event Details For : EU544951480IN

Current Status : Item Delivered(Addressee)

Date	Time	Office	Event
21/10/2024	16:11:48	Lodi Road HO	Item Delivered(Addressee)
21/10/2024	10:52:16	Lodi Road HO	Out for Delivery
21/10/2024	07:33:34	Lodi Road HO	Item Received
21/10/2024	05:50:00	New Delhi NSH	Item Dispatched
21/10/2024	00:44:19	New Delhi NSH	Item Bagged
20/10/2024	23:18:20	New Delhi NSH	Item Received
20/10/2024	05:02:49	Delhi AP TMO	Item Dispatched
20/10/2024	00:30:12	Delhi AP TMO	Item Received
19/10/2024	10:20:00	MA APTMO Varanasi RMS	Item Dispatched
19/10/2024	08:36:47	MA APTMO Varanasi RMS	Item Received
19/10/2024	02:33:19	Varanasi NSH	Item Dispatched
18/10/2024	23:51:25	Varanasi NSH	Item Bagged
18/10/2024	22:52:07	Varanasi NSH	Item Received
18/10/2024	21:55:30	MA Varanasi Cantt RMS	Item Dispatched
18/10/2024	21:48:16	MA Varanasi Cantt RMS	Item Received
18/10/2024	16:41:58	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Dispatched
18/10/2024	16:31:17	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Bagged
18/10/2024	15:29:32	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Booked

Home  
About Us  
Forms  
Recruitments  
Holidays  
Feedback



20



You are here Home >> Track Consignment

### Track Consignment

[Quick help](#)

\* Indicates a required field.

\* Consignment Number

EU544951604IN

Track More

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	18/10/2024 15:29:32	221005	29.50	Inland Speed Post	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	19/10/2024 15:55:12

Event Details For : EU544951604IN

Current Status : Item Delivered(Addressee)

Date	Time	Office	Event
19/10/2024	15:55:12	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Delivered(Addressee)
19/10/2024	10:29:17	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO (Beat Number:2)	Item Delivered [To: bhu (Article Receipt Room) ]
19/10/2024	09:56:51	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Out for Delivery
19/10/2024	07:34:55	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Received
18/10/2024	16:38:44	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Bagged
18/10/2024	15:29:32	Hindu Vishwa Vidhyalaya SO	Item Booked

- Home
- About Us
- Forms
- Recruitments
- Holidays
- Feedback
- Right To Information

- Tenders India
- Related sites
- Website Policies
- Contact Us
- Employee Corner
- Sitemap
- Help

External Links



*Sealable Pin*



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
AT PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ANNEXURE NO. (2)

IN  
Reply/Affidavit Of Compliance  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO 928 OF 2024

IN THE MATTER OF :-

Saurabh Tiwari

..... Applicant-IN-Person/Petitioner-In-Person.

Versus

Union Of India & Ors.

..... Respondent(s)/Opposite Parties.

\*\*\*\*\*

**Two member joint Committee report.**



*Saurabh Tiwari*



## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी.-36 अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स-0542 2585574

ई-मेल dfvrns@yahoo.in

पत्रांक:- 184/29-1,

दिनांक, वाराणसी, अक्टूबर, 29 2024 ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

विषय-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 की अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत वाद काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में बिना सक्षम स्तर की अनुमति के वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में उपरोक्त वाद दाखिल है। विषयगत वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा दिनांक-31.07.2024 को पारित विस्तृत आदेश के बिन्दू संख्या-5 में अंकित कमेटी के द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी परिसर में पातन किये गये वृक्षों एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी परिसर में वृक्षारोपण किये गये पौधों के सम्बन्ध में जांच/परीक्षण करने के आदेश हैं। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 की अनुपालन आख्या नियत तिथि दिनांक-11.11.2024 से पूर्व मा0 न्यायालय में दाखिल किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 की अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही में संक्षिप्त इतिहास एवं प्रस्तरवार आख्या प्रेषित की जा रही है। कृपया मा0 न्यायालय में अनुपालन आख्या दाखिल करने की कृपा करें।

संलग्नक- संक्षिप्त इतिहास एवं पैरावाइज नरेटिव।

भवदीया,

(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी



*U.K. Thaturvedi*

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-  
928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य का

संक्षिप्त इतिहास:-

मूल वाद संख्या-928/2024 में वादी श्री सौरभ तिवारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमित के काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है कि "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के 1300 एकड़ परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ मौजूद थे, जिसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गयी है, जिसमें सागौन आम आदि के वृक्ष काटे गये हैं यहां तक की चन्दन के पेड़ भी काटे गये हैं।" याची द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह झूठा तर्क दिया जा रहा है कि उनके द्वारा उक्त काटे गये वृक्षों के एवज में कई वृक्ष लगाये गये हैं। याची ने अपने याचिका प्रार्थना पत्र के साथ विभिन्न फोटोग्राफ एवं जी.पी.एस. कोऑर्डिनेट्स अपने तथ्य को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक-31.07.2024 को इस सन्दर्भ में एक आदेश पारित किया गया है, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार है-

5. In order to ascertain the truthfulness of the allegation and also the extent of trees which have been cut, if any permission was obtain before cutting of trees and if any compensatory plantation has been done, we deem it proper to form a committee comprising of RO, MoEF and CC Lucknow and Divisional Forest Officer, Varanasi who will act as the coordinating agency.

6. The Two Member committee will visit the site and ascertain the correct position keeping in view the observations made above and will submit report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

7. List on 11.11.2024.

मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में ससमय प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय), एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के द्वारा अपने पत्रांक-1330/यू.पी./2024/178 दिनांक-09.08.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को अवगत कराते हुए पत्र की प्रति अन्य के साथ साथ वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को प्रेषित की गयी। (संलग्नक-1)

मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा अपने पत्रांक-81/29-1, दिनांक-29.08.2024 से उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में सम्बन्धित से सम्पर्क/स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। (संलग्नक-2)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में सागय प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय), एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के द्वारा अपने पत्रांक-1330/यू.पी./2024/190 दिनांक-03.09.2024 से वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को अवगत कराते हुए पत्र की प्रति अन्य के साथ साथ वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को प्रेषित की गयी। (संलग्नक-3)

वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के द्वारा कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को अपने पत्रांक-661/2-43, दिनांक-04.09.2024 से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिहरण, नई दिल्ली में दाखिल विषयगत वाद में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन के क्रम में वाद में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में आख्या/अभिलेख वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया। (संलग्नक-4)

मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा वॉइस चान्सलर, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विषयगत वाद से सम्बन्धित तथ्यात्मक आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-1269/29-1, दिनांक-25.09.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया। (संलग्नक-5)

मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के द्वारा टीम गठित करते हुए गठित टीम के साथ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में कटान किये गये एवं वृक्षारोपण किये गये स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रो0 सरफराज आलम एवं सम्बन्धित स्टॉफ मौके पर उपस्थित रहे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/सूची दिनांक-12.09.2024 के आधार पर 152 वृक्षों के पातन हेतु वन विभाग से अनुमति ली गयी। (संलग्नक-6) संयुक्त निरीक्षण के दौरान 149 वृक्षों का पातन पाया गया। (संलग्नक-7) अनुमति लिये गये 152-149=3 वृक्षों के सम्बन्ध में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका।

प्रभागीय अभिलेखों के अनुसार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 (वर्तमान तक) 135 वृक्षों के पातन अनुमति प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी द्वारा निर्गत की गयी है। इस प्रकार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा 149 पातित वृक्षों के सापेक्ष 135 वृक्षों की पातन अनुमति दिये जाने के उपरान्त शेष 14 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका। (संलग्नक-8)

प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा गठित टीम ने मौके पर 12 वृक्षों (आम-06, गोल्ड मोहर-03, कटहल-1 एवं महुआ-02) का अवैध कटान पाया गया जिसके सम्बन्ध में वाराणसी वन प्रभाग द्वारा वन अपराध संख्या-43/2024-25 दिनांक-23.10.2024 वाराणसी रेंज द्वारा पंजीकृत किया गया है। (संलग्नक-9)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा गठित टीम के द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में कुल 161 वृक्षों का पातन पाया गया जिसके सापेक्ष विश्वविद्यालय प्रशासन को 135 वृक्षों की अनुमति वन विभाग द्वारा दी गयी थी। इस प्रकार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 26 वृक्षों का पातन बिना वन विभाग के अनुमति लिये किया गया, पाया गया। इस सम्बन्ध में वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के द्वारा उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ को अपने पत्रांक-1053/2-43, दिनांक-15.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया। (संलग्नक-10)

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा गठित टीम ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में 135 वृक्षों के पातन अनुमति के सापेक्ष 1630 पौधों वृक्षारोपण पाया गया।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में बिना अनुमति के काटे गये 26 वृक्षों एवं 07 चन्दन के वृक्षों के अवैध पातन एवं काशी हिन्दू परिसर में वृक्षों की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में तथ्यात्मक आख्या/अभिलेखित साक्ष्य प्रभागीय कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा अपने पत्रांक-1802/29-1, दिनांक-26.10.2024 से रजिस्ट्रार, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को दिनांक-28.10.2024 तक उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया। (संलग्नक-11)


मा० राष्ट्रीय हरित अधिहरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त वाद में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 के क्रम में दिनांक-24.10.2024 को उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ, वन संरक्षक वाराणसी वृत्त, वाराणसी, प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी एवं वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मी तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रतिनिधि प्रो० इंचार्ज सरफराज आलम, उद्यान विशेषज्ञ इकाई, श्री अश्वनी कुमार देशवाल, उद्यान विशेषज्ञ अधिकारी, प्रो० बी. राम द्रव्य गुण विभाग, आई.एम.एस. बी.एच.यू. एवं श्री राज जन्म राम माली की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के उपस्थित प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आन्तरिक टीम गठित है जिसके द्वारा वृक्षों की निगरानी एवं अनुश्रवण किया जाता है। मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन से अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वृक्षों के सुरक्षा के सम्बन्ध में गठित टीम एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के कार्यालय में 28.10.2024 तक उपलब्ध करा दें। (संलग्नक-11)



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature: Saurabh Kumar

मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में 26 वृक्षों का अवैध पातन पाया गया एवं 07 चन्दन वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वन विभाग को कोई सूचना नहीं दी गयी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर चारों तरफ दिवारों से घिरा होने के साथ साथ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय से बाहर आवागमन के समस्त गेटों पर सुरक्षा गार्ड तैनात किये गये हैं तथा विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इसके बाद भी विश्वविद्यालय परिसर से वृक्षों का अवैध कटान, अवैध ढूलान/चौरी हो जाना सन्देहास्पद है। अतः वादी द्वारा वाद में उल्लिखित चन्दन वृक्षों के सम्बन्ध में याची का कथन व शिकायत पूर्ण सिद्ध होती है एवं इसके अतिरिक्त अन्य प्रजाति के 26 वृक्षों के पातन अनुजा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के कारण 26 वृक्षों का अवैध पातन विश्वविद्यालय परिसर में पाया गया।



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,

वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।



Sawabh Singh

संलग्नक - ①

21/08/24



भारत सरकार  
Government of India  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696  
Email : roslko-mef@nic.in, goimofrlko@gmail.com

File No: L-1330/UP/2024 | 17 d

Date: 09.08.2024

Court matter/ Email

STID

To,  
Divisional Forest Officer  
Forest Department of U.P.  
Varanasi  
Email: [dfovrns@yahoo.co.in](mailto:dfovrns@yahoo.co.in)

PCCF



DFO (U) CCF (U)  
11-8-24

Sub: O.A. NO. 928 OF 2024 TITLED AS SAURABH TIWARI VS UNION OF INDIA & ORS BEFORE THE HON'BLE, NGT, NEW DELHI-reg.

Kindly refer to the above cited subject matter. In this Original Application, the plea of the applicant is that various species of trees were existing in the 1300-acre campus of Banaras Hindu University. The allegation is that large number of trees felling has taken place within the campus without any permission by the competent authority. It is alleged that the trees of Shagaun, Sandalwood, Mango, etc. have been cut and even Chandan trees have been felled. The applicant has also alleged that the authorities of the University are taking the false plea on the paper that they have planted various trees, in lieu of the trees which have been cut.

In support of the plea taken in the O.A. applicant has filed the photographs with geo-coordinates from page 23 onwards depicting the extent of illegal felling of trees which has taken place in the campus premises. He has also submitted that though the students have staged a protest against illegal felling of trees but ignoring the same the tree cutting has continued.

The Hon'ble Tribunal was pleased to pass the order dated 31.07.2024 (copy enclosed), the relevant para read as:

5. In order to ascertain the truthfulness of the allegation and also the extent of trees which have been cut, if any permission was obtained before cutting of trees and if any compensatory plantation has been done, we deem it proper to form a Committee comprising of RO, MoEF and CC Lucknow and Divisional Forest Officer, Varanasi who will act as the coordinating agency.



Saurabh Tiwari

6. The Two Member Committee will visit the site and ascertain the correct position keeping in view the observations made above and will submit report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

7. List on 11.11.2024....."

In compliance of above order, undersigned has been nominated on behalf of RO, MoEF&CC, Lucknow.

You are requested to arrange the site inspection and confirm a date of it after consultation with undersigned to comply the Hon'ble Tribunal Order within stipulated time period

Encl: As above


Yours Sincerely,


  
(Dr. Prachi Gangwar)

Deputy Inspector General of Forests (Central)


Copy to:

1. PCCF (HOFF), Forest Department, Lucknow. U.P. Email: [pccf-up@nic.in](mailto:pccf-up@nic.in)
2. CCF/Nodal Officer, Forest Department, Lucknow. U.P. Email: [ccfnodalup@gmail.com](mailto:ccfnodalup@gmail.com)
3. CF, Varanasi Circle, Varanasi. Email: [cfvaranasi2@vahoo.com](mailto:cfvaranasi2@vahoo.com)

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी.

  
डॉ. प्राची गंगवार  
DR. PRACHI GANGWAR  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)  
Dy. Inspector General of Forests (Central)  
एन.ए. वन एवं पर्यावरण विभाग, वाराणसी  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
एन.ए. वन विभाग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश  
Integrated Management Office Lucknow-226024





6. The Two Member Committee will visit the site and ascertain the correct position keeping in view the observations made above and will submit report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

7. List on 11.11.2024....."

In compliance of above order, undersigned has been nominated on behalf of RO, MoEF&CC, Lucknow.

You are requested to arrange the site inspection and confirm a date of it after consultation with undersigned to comply the Hon'ble Tribunal Order within stipulated time period

Encl: As above

Yours Sincerely,

*P. Prachi*  
09.08.2024  
(Dr. Prachi Gangwar)

Deputy Inspector General of Forests (Central)

Copy to:

1. PCCF (HOFF), Forest Department, Lucknow. U.P. Email: [pccf-up@nic.in](mailto:pccf-up@nic.in)
2. CCF/Nodal Officer, Forest Department, Lucknow. U.P. Email: [ccfnodalup@gmail.com](mailto:ccfnodalup@gmail.com)
3. CF, Varanasi Circle, Varanasi. Email: [cfvaranasi2@vahoo.com](mailto:cfvaranasi2@vahoo.com)

*P. Prachi*  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी.

*P. Prachi*  
09.08.2024  
डॉ. प्राची गंगवार  
DR. PRACHI GANGWAR  
उप वन महाधिकारी (केंद्रीय)  
Dy. Inspector General of Forests (Central)  
एन. 13373/17, वन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forests & Climate Change  
एन. 13373/17, वन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय  
Integr. & Regional Office Lucknow-226024



संलग्नक - ② कोर्ट केस/अतिमहत्वपूर्ण  
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आइ.जी.-36 अशोक विहार कालोनी पेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स-0524 2585574

ई-मेल dfovrns@ynhoo.in

पत्रांक - P/O 129-1,

दिनांक, वाराणसी, अगस्त . 27 2024 ।

सेवा में,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी ।


विषय -

नोटिस फार हेयरिंग इन ओ.ए. संख्या-928/2024 रॉयल सिविली कनाम गूनिशन आफ इण्डिया व अन्य में ग्रांटेड एन.जी.टी का आदेश दिनांक-31.07.2024 के सम्बन्ध में।

संदर्भ -

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, 30प्र0 लखनऊ का पत्रांक-नो.के. 410/6ई (एन.जी.टी.) दिनांक-13.08.2024 एवं वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी का पत्रांक-456/2-43, दिनांक-16.08.2024 एवं इस कार्यालय की पृष्ठांकन पत्रांक-780/2-43, दिनांक-20.08.2024।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित प्रकरण बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पातित वृक्षों से सम्बन्धित है जिसमें ग्रांटेड एन.जी.टी. द्वारा दिनांक-31.07.2024 को विस्तृत आदेश किये गये हैं। आदेश के क्रम में अपेक्षित आख्या ग्रांटेड एन.जी.टी. में नियत तिथि 11.11.2024 को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है। विषयगत याचिका एवं ग्रांटेड एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-31.07.2024 के प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि विषयगत प्रकरण की प्रकृति के दृष्टिगत तत्काल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सम्बन्धित से सम्पर्क/स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराये।


  
(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।


पत्रांक- P/O 111/0 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त प्रकरण में कृपया दिशानिर्देश देने की कृपा करें।

- 1 मुख्य वन संरक्षक, गोट केस, 30प्र0 लखनऊ।
- 2 मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, प्रयागराज।
- 3 वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
- 4 क्षेत्रीय वनाधिकारी, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी से वार्ता करते हुए विषयगत प्रकरण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।


  
(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

Local Disk D:/KKY/Shailish Sir/Court Case/Court Case Letter





405  
11-ली - संलग्नक - (3)  
04/09/2024



भारत सरकार  
Government of India  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवा तल, सेक्टर एम, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector II, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2316676  
Email : rsc.lko-mef@nic.in, gmoefrolko@gmail.com

File No: L-1330/UP/2024/190

Date: 03.09.2024

Court matter/ Email

To,  
Conservator of Forest  
Varanasi Circle,  
Varanasi. Email: cfvaranasi2@yahoo.com

Sub: O.A. NO. 928 OF 2024 TITLED AS SAURABH TIWARI VS UNION OF INDIA & ORS BEFORE THE HON'BLE, NGT, NEW DELHI-reg.

Ref:

Kindly refer to the above cited subject matter. In this Original Application, the plea of the applicant is that various species of trees were existing in the 1300-acre campus of Banaras Hindu University. The allegation is that large number of trees felling has taken place within the campus without any permission by the competent authority. It is alleged that the trees of Shagaun, Sandalwood, Mango, etc. have been cut and even Chandan trees have been felled. The applicant has also alleged that the authorities of the University are taking the false plea on the paper that they have planted various trees, in lieu of the trees which have been cut.

In support of the plea taken in the O.A. applicant has filed the photographs with geo-coordinates from page 23 onwards depicting the extent of illegal felling of trees which has taken place in the campus premises. He has also submitted that though the students have staged a protest against illegal felling of trees but ignoring the same the tree cutting has continued.

The Hon'ble Tribunal was pleased to pass the order dated 31.07.2024 (copy enclosed), the relevant para read as:

"....5. In order to ascertain the truthfulness of the allegation and also the extent of trees which have been cut, if any permission was obtained before cutting of trees and if any compensatory plantation has been done, we deem it proper to form a Committee comprising of RO, MoEF and CC Lucknow and Divisional Forest Officer, Varanasi who will act as the coordinating agency.

का.प्र.सं.प्र.भाग.प्र.न.प्र.सं.  
वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी

क्रम सं०

त्रावली सं०

Ad. So.

CC/INodal  
A.O.  
03/09/24



Scanned with OKEN Scanner

6. The Two Member Committee will visit the site and ascertain the correct position keeping in view the observations made above and will submit report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

7. List on 11.11.2024....."

...

In view of above, you are requested to conduct a site inspection and submit the preliminary report within 15 days as to enable this office to comply the Hon'ble Tribunal Order within stipulated time period

Encl: As above

Yours Sincerely,

  
(Dr. Prachi Gangwar)

Deputy Inspector General of Forests (Central)

Copy to:

1. CCF/Nodal Officer, Forest Department, Lucknow. U.P. Email: [ccfnodalup@gmail.com](mailto:ccfnodalup@gmail.com)
2. CCF, South Region, Forest Department, Prayagraj. U.P. Email: [ccfah-up@nic.in](mailto:ccfah-up@nic.in)
3. DFO, Varanasi. Email: [dfovrns@yahoo.co.in](mailto:dfovrns@yahoo.co.in)

  
(Dr. Prachi Gangwar)

Deputy Inspector General of Forests (Central)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- 640 /11-सी, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 04 2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

45


प्रभागीय वनाधिकारी  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

(प्रमोद कुमार गुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

LI. ST Page No.1949







संलग्न- ④

कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी  
 (वन भवन, एच0आई0जी0-33, अशोक बिहार कालोनी फेज-1 पहड़िया वाराणसी-221007  
 E-Mail-cfvaranasi2@yahoo.com, cfva-up@nlc.in दूरभाष-0542-2585444

पत्रांक- /2-43, दिनांक वाराणसी, सितम्बर, 04 2024

सेवा में

कुल सचिव,  
 काशी हिन्दू विश्व विद्यालय,  
 वाराणसी।

विषय:-

Notice for hearing in O.A.No.928 of 2024 (Saurabh Tiwari vs Union of India & ors) before Hon'ble Natational Green Tribunal, New Delhi.

संदर्भ:-

भारत सरकार पत्रांक File No.L-1330/यू0पी0/2024/178 दिनांक-09-08-2024 एवं पत्र-File No.L-1330/UP/2024/190 दि0-03.09.2024।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है अवलोकन करने का कष्ट करें, मूल वाद संख्या-928/2024 में शिकायतकर्ता सौरभ तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष काटे गये हैं, के सम्बन्ध में वाद दाखिल किया गया है कि, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी के 1300 एकड़ परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ मैजूद थे, जिसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गयी है, जिसमें सागौन, आम आदि के वृक्ष काटे गये हैं और यहाँ तक की चन्दन के पेड़ भी काटे गये हैं।

शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी कागज पर झूठा तर्क दे रहे हैं कि उन्होने काटे गये पेड़ों के बदले में विभिन्न पेड़ लगाये गये हैं। शिकायत कर्ता ने ओ0 ए0 में ली गई दलील के समर्थन में आवेदन के परिसर में हुए पेड़ों की अवैध कटाई की सीमा को दर्शाते हुए पृष्ठ 23 से आगे भू-निर्देशान्क के साथ तस्वीरे दाखिल की गयी है। पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए पेड़ों की कटाई जारी रही।

उक्त के सम्बन्ध में कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी के परिसर में वित्तीय वर्ष-2023-24 व 2024-25 में कितने-कितने सागौन, चन्दन, आम व अन्य प्रजाति के वृक्ष काटे गये हैं, तथा काटे गये विभिन्न प्रजाति के बदले कितने वृक्ष प्रजातिवार लगाये गये हैं की सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-31-07-2024 के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित अगली नियत तिथि 11-11-2024 से एक सप्ताह पहले न्यायाधिकरण के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(डा0 रवि कुमार सिंह)  
 वन संरक्षक,  
 वाराणसी वृत्त, वाराणसी

संख्या- 66) (1) / समदिनांकित।

✓ प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी  
 वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

(डा0 रवि कुमार सिंह)  
 वन संरक्षक,  
 वाराणसी वृत्त, वाराणसी



Saurabh Tiwari

संलग्न- 5

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी.-36 अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स-0542 2585574

ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांक:- 1269/29-1,

दिनांक, वाराणसी, सितम्बर, 25 2024।

संवा में,

वाइस चॉन्सलर,

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी।

विषय-

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 की अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में नियत तिथि दिनांक-11.11.2024 को प्रस्तुत करते हुए प्रभावी पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत याचिका बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित वृक्षों के पातन से सम्बन्धित है। विषयगत याचिका याची द्वारा अन्य के साथ साथ आपको प्रेषित की गयी है तथा आप को प्रतिवादी संख्या-2 नामित किया गया है। विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यात्मक आख्या 01 सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय में ईमेल-[dfovrns@yahoo.in](mailto:dfovrns@yahoo.in) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत याचिका में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 की अनुपालन आख्या एवं याचिका में उल्लिखित तथ्यों से सम्बन्धित आख्या नियत तिथि दिनांक-11.11.2024 से पूर्व मा0 न्यायालय में दाखिल करते हुए प्रभावी पैरवी करने तथा एक प्रति इस कार्यालय में ईमेल-[dfovrns@yahoo.in](mailto:dfovrns@yahoo.in) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

पत्रांक:- 1269/समदिनांकित

प्रतिलिपि-

1. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की विषयगत प्रकरण में आपको अधोहस्ताक्षरी द्वारा वार्ता करते हुए निर्देश दिये गये। विषयगत प्रकरण में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में सम्बन्धित से सम्पर्क स्थापित करके विषयगत प्रकरण में तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध करायें। विषयगत प्रकरण में मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रभाग स्तर से की जाने वाली समस्त कार्यवाही हेतु आपको नामित किया जाता है।



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।




Details of trees planted in BHU Campus from Jan 2022 - Aug 2024

Ser	No of Trees cut	Species	Letter of Approval	No of Trees planted as part of compensatory norms	Year	Species	Location, where trees were planted
1.	49	Jamun - 1 Semal - 1 Shisham-13 Chil Bil-4 Jungle Jalebi-3 Imli-1 Neem-1 Eucalyptus -24 Wild-1	Letters No. 3605/22-1 dated 06 Apr 2022, 1502/22-1 dated 18 Oct 2022 & 1610/22-A dated 28 Oct 2022, 1504/22-1 dated 18 Oct 2022, 1615/22-1 dated 28 Oct 2022, 1616/22-1 dated 28 Oct 2022 and 1503/22-1 dated 18 Oct 2022	536	2022	Teak-189, Mango-299, Sandalwood-3, Kalpatriksh-2, Bargad-3, Pipal-2, Amli-2, Belpatra-4, Jamun-23, Ashoka-2, Kadamb-2, Mousari - 10	Hyderabad gate, Naryn gate, Rajendra Hostel, IIT Chauraha Computer Centre, IIT Chauraha Main Branch, Bharendu Harish, Jalandra Hostel, PESID, Swamtraa Bhawan, etc.
2.	39	Eucalyptus -39	Letters No 2579/22-1 dated 18 Jan 2023 and 3809/22-1 dated 09 May 2023	419	2023	Mango-203, Neem-21, Bargad-1, Mahua-50, Jamun-12, Imli-10, Teak-122	Cochin House, Malaviya Bhawan, Medical College, Malaviya Anushchehan Kendra, NCC Mother Teresa Hostel, Dept of Agriculture, etc
3.	64	Peepal - 1 Gular - 3 Mango-3 Sahuot-1 Sagoun - 4 Teak - 45 Mahua-1, Shemal-1 Eucalyptus-2 Neem-1, Jungle Jalebi-2	Letters No 2505/22-1 dated 04 Feb 2024, 4087/22-1 dated 04 May 2017, 2504/22-1 dated 04 Feb 2024, 1504/22-1 dated 01 Dec 2023 and 2929/22-1 dated 12 Apr 2024	652	2024	Mango-279, Teak-195, Neem-4, Peepal-7, Bargad-2, Amli-35, Gumohar-12, Imli-10, Sasa-2, Mosumi-34, Sharifa-1, Ashoka-21, Orange-30,	Central Nursery, Dravyayagn Sanshan, near Main Gate, Computer Centre, IIT chauraha till Dairy Farm Narya Gate to Hyderabad Gate, Zoology to Kaimai Chauraha, etc.
Total	152			1607			

Sanjay Kumar  
अचार्य प्रभारी  
Professor-In-Charge  
जगत प्रवेशक कक्षा  
Horticulturist Unit  
श्रीगणेश विश्वविद्यालय  
Bankas Hindu University

श्रीगणेश विश्वविद्यालय  
NOTARY GOVT OF INDIA  
N. 13373/17  
09-11-24

Sauabhi

35  
35

संलग्नक (7)

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी. 38, अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स- 0542 2585574

ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांक- 37 / 29-1 दिनांक, वाराणसी, सितम्बर 13 2024 ।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग,  
वाराणसी।

विषय- वर्ष 2022-23 व 2023-24 में पातित वृक्ष के सापेक्ष कराये गये वृक्षारोपण का स्थलीय भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक- 810/29-1 दिनांक- 29.08.2024

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में काशी हिन्दु विश्व विद्यालय, वाराणसी परिसर में वर्ष 2022-23 व 2023-24 में पातित वृक्ष के सापेक्ष कराये गये वृक्षारोपण का स्थलीय भौतिक सत्यापन इस वन प्रभाग के श्री संजय कुमार क्षेत्रीय वन अधिकारी काशी रेंज, श्री राजकुमार गौतम, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, वाराणसी रेंज एवं श्री राहुल बलवन्त वन रक्षक, वाराणसी रेंज की कमेटी बनाकर स्थलीय भौतिक सत्यापन दिनांक- 07.09.2024 को कराया गया। सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भिवदीय,

(राकेश कुमार)

उप प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी  
वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी  
रूम नं० 1802  
तावली नं० 297  
दिनांक 19-9-24

संख्या- / समदिनांकित

प्रतिलिपि- प्रो० सरफराज आलम, उद्यान विशेषज्ञ, विभाग प्रभारी, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार)

उप प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।प्रभागीय वनाधिकारी  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

Sawabhi

सेवा में,

जीमान् उप प्रशासकीय अनाधिकारी  
वाराणसी, वन प्रभाग  
वाराणसी।

विषय- वर्ष 2022-23 व 2023-24 में पारित वृक्ष के सार्वजनिक करवाये गये वृक्षारोपण का स्थानीय भौतिक स्थापन के सम्बन्ध में

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 32/29-1 दिनांक 04-09-2024।

महोदय,

संदर्भित पत्रांक के अनुपालन में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी परिसर में वर्ष 2022-23 व 2023-24 में पारित वृक्ष के सार्वजनिक करवाये गये वृक्षारोपणों का स्थानीय भौतिक स्थापन किया गया। इसके पर अव्यक्त काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के डॉ० कल्याण वर्मा, सह-सम्बन्धक, अध्यापक विशेषज्ञ इकाई, श्री रामजनम राय माली, श्री शोभा प्रकाश, माली उपस्थित रहे।

सत्यापित किये गये पौधों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. संख्या	पौधों का नाम	पौधों की संख्या	रोपित वर्ष	स्थल का नाम
1.	आम	14	2023-24	उद्यान विभाग नसीखर
2.	मौलसी	11	— " —	— " —
3.	अशोक	150	— " —	— " —
4.	आम	45	— " —	उद्यान विभाग परिसर (नक्षीली के पास)
5.	आम	30	2022-23	— " —
6.	सर्गौज	45	— " —	— " —
7.	पीपल	01	2023-24	— " —
8.	जम्बूक पान्सा	52	2022-23	गोंजहा के पास
9.	सर्गौज	31	2023-24	BHU प्रैक्स
10.	अशोक	29	2022-23	पर्यावरण विभाग के पास
11.	आम	70	— " —	— " —

...

उदय गुरुण चतुर्वेदि



Saurabh Kumar

12.	गोल्डमोहर	05	2022-23	पर्यावरण विभाग के पाल
13.	कैजी	05	— " —	— " —
14.	शीशम	05	— " —	— " —
15.	अशीक	50	2022-23	स्वतंत्रता भवन से अरमनवी एमंटी रोड तक
16.	नीम	5	— " —	— " —
17.	आम	24	2023-24	डे - हावेल
18.	आम	30	— " —	दोय गेट से IIT गेट हाइ
19.	रंगगोन	15	— " —	महाधना विद्यालय रोड.
20.	आम	25	— " —	गेट हाइ पॉस्ट से IT लाइब्रेरी
21.	आम	25	2022-23	कम्प्युटर सेन्टर से नान लिनि सेन्टर तक
22.	— " —	15	2023-24	— " —
23.	संतरा	25	— " —	कृषि विज्ञान संस्थान
24.	भुरमबी	25	— " —	— " —
25.	आम	15	2022-23	सेट्रल ऑफिस से बॉटनी-चौराहा
26.	आम	25	2023-24	— " —
27.	आम	15	— " —	बॉटनी ऑफिस से UT
28.	जामुन	20	2023-24	NCC चौराहा से धनसन्तरी-चौराहा
29.	नीम	5	— " —	— " —
30.	रंगगोन	40	— " —	नरिया गेट से KV पोस्ट ऑफिस
31.	— " —	20	2022-23	— " —
32.	नीम	06	2023-24	सुन्दर बगीचा गेट से P.O
33.	बरगद	01	— " —	— " —
34.	आम	01	— " —	— " —
35.	आम	09	— " —	पोस्ट ऑफिस से मंत्री उद्यान नशुद
36.	गुलाचीन	01	— " —	— " —
37.	बरगद	01	— " —	— " —
38.	डमली	30	2023-24	— " —
39.	डमली	07	2022-23	— " —

रा. वि. सं. रा. वि. सं. रा. वि. सं.

रा. वि. सं. रा. वि. सं. रा. वि. सं.  
 13373/17


09.11.24  
 STARY GOVT OF INDI

Gaulabpur

40	नीम	34	2022-23	नेनो टेक्नोलॉजी से प्रेचा-पोर्ट
41	आम	02	— " —	— " —
42	आम	25	2022-23	प्रोधा चौराहा से -यू PHD गर्ल हासल
43	इमली	24	— " —	बोली क्रादिगखे प्रिडिपथ कॉलोनी तक
44	आम	15	— " —	— " —
45	नीम	09	— " —	— " —
46	पाकड़	01	— " —	— " —
47	आम	25	— " —	प्रिदि पल कॉलोनी से मद्याना विद्यालय
48	खगोन	20	— " —	— " —
49	आम	25	— " —	हंपराबाद गेट से राजपुराना चौराहा
50	महुआ	20	2022-24	— " —
51	आम	90	— " —	कोटभाला-चौराहा से LD रोड घाड़ें चौराहा
52	महुआ	19	2022-23	— " —
53	बरागद	03	2022-24	— " —
54	पीपल	01	— " —	— " —
55	अशोक	02	— " —	— " —
56	मोलशी	27	2022-23	धुपरूपेअखिली हास्पिटल के पास
57	आंवला	10	— " —	आयुर्वेद कॉलेज के पास
58	आम	07	— " —	— " —
59	सफेद-कन्दन	03	— " —	विश्वनाथ मंदीर परीसा
60	कल्पवृक्ष	01	— " —	— " —
61	आंवला	02	— " —	— " —
62	बेज	04	— " —	— " —
63	अशोक	02	— " —	— " —
64	कदमब	02	— " —	— " —
65	रुद्राक्ष	02	— " —	— " —
66	आम	11	— " —	— " —

✓

विक्रम सिंह





अध्यक्ष

GOVT OF INDIA  
09-11-2023  
Sawab Tuni

67.	नीम	17	2022-23	पर्यावरण विभाग परीक्षा
68.	औषधीय	21	—	—
69.	बेल	07	—	—
70.	जातुन	09	—	—
71.	—	11	—	यू PHD एंटरण से पतेल चोहाए तक
72.	आब	10	—	—
73.	गुलानीत	04	—	—
74.	नीम	02	—	—
75.	महुआ	23	—	पतेल चोहाए के चतुर्वर्ती चोहाए तक
76.	आब	03	—	—
77.	पीपल	02	—	कृषि विभाग संस्थान
78.	आब	14	—	—
79.	गुलानीत	08	—	जानुं विभाग विभाग
80.	आब	01	—	—
81.	नीम	01	—	—
82.	आब	16	—	रसायन विभाग विभाग
83.	बरगद	05	—	—
89.	आम	20	—	राजनीत विज्ञान
90.	औषधीय	09	—	—
91.	पान्द्र	01	—	—

प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, राणसी, काशी, उत्तर प्रदेश।  
 वर्ष 2022-23 व 2023-24 में कुल 1498 पौधरोपण किया गया है।  
 अतः शिपट सूचनाएं एषण अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशित की जा रही हैं।  
 राणसी वन प्रभाग काशी, उत्तर प्रदेश।  
 09-11-20

NOTARY GOVT OF INDIA  
 09-11-20



प्रो. प्रजापति सायन्या मा आशा है  
21/09/24

प्रमाणित वनाधिकारी  
U.K. Thaturvedi  
N: 13373/17  
NOTARY GOV. INDIA

Saidabhai





CS

₹

प्रमाणीय  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

फोटो प्रमाणित  
श्रीगणेश-मठ

श्रीगणेश वन प्रभाग  
 वाराणसी  
 N. 13373/17  
 09.11.24  
 NOTARY GOVT OF INDIA  
 श्रीगणेश वन प्रभाग  
 वाराणसी



प्रभागीय वनाधिकारी  
धाराणसी वन विभाग  
धाराणसी

ज्योति प्रभागीय  
शान्ति-नारायण  
K. Chaturvedi  
N. 15373/17  
09.11.20  
NOTARY GOVT OF  
Sawabhi



प्रभागीय क्ताधिकारी  
वाणसी वन प्रमण, वाणसी

फोटो सज्जित  
शान्ति-न-म-म

UR Notary  
N. 13373/17  
NOTARY GOVT INDIA  
Date: 07/09/2024


कमलार

Handwritten signature

संलग्नक-8

वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में अब तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी की दी गई पातन अनुमति का विवरण।

क्र० सं०	अनुमति का पत्रांक व दिनांक	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों की संख्या
<b>वर्ष 2022-23</b>			
1	3602/22-1 दिनांक 06.04.2022	शीशम	1
2	3603/22-1 दिनांक 06.04.2022	शीशम	1
3	1502/22-1 दिनांक 18.10.2022	शीशम	8
		धिलबिल	4
		जंगल जलेबी	3
		इमली	1
		नीम	1
		कोकाट	1
4	1503/22-1 दिनांक 18.10.2022	यूकेलिप्टस	24
5	1504/22-1 दिनांक 18.10.2022	शीशम	1
6	1610/22-1 दिनांक 28.10.2022	जामुन	1
		सेमल	1
7	1614/22-1 दिनांक 28.10.2022	शीशम	2
8	1615/22-1 दिनांक 28.10.2022	शीशम	2
9	1616/22-1 दिनांक 28.10.2022	शीशम	1
10	2579/22-1 दिनांक 18.01.2023	यूकेलिप्टस	32
		<b>योग 22-23</b>	<b>84</b>
<b>वर्ष 2023-24</b>			
1	3809/22-1 दिनांक 09.05.2023	यूकेलिप्टस	7
2	680/22-1 दिनांक 22.08.2023	शीशम	4
3	1130/22-1 दिनांक 06.10.2023	यूकेलिप्टस	20
4	1504/22-1 दिनांक 01.12.2023	महुआ	1
		सेमल	1
5	2504/22-1 दिनांक 04.02.2024	नीम	1
		जंगल जलेबी	2
6	2505/22-1 दिनांक 04.02.2024	यूकेलिप्टस	2
		<b>योग 2023-24</b>	<b>38</b>
<b>वर्ष 2024-25</b>			
1	2929/22-1 दिनांक 12.04.2024	पीपल	1
		गूलर	3
		आम	3
		शहतूत	1
		सागौन	4
2	3048/22-1 दिनांक 24.04.2024	शीशम	1
		<b>योग 2024-25</b>	<b>13</b>
		<b>कुल योग</b>	<b>135</b>



Saurabh Singh

संलग्न - 9

पत्र सं 0 एच-2

03

DCM 43/2024-25 बाराणसी रेन्ज

पत्र सं 339

पुस्तक सं 0

विभाग वन विभाग, बाराणसी (वृत्त) वन विभाग, बाराणसी (द्वितीय) बाराणसी

वृत्त अन्वेषण अधि. प्रसूचना (रिपोर्ट) सं 23/10/2024 दिनांक 23/10/2024 अधिकार क्षेत्र (राजि)

श्री धारा 4/10 व 305-5 द्वारा लकड़ी व अन्य वन उपज के अतिक्रमण विनियम 1978 की धारा 3/28

समय - 1:00 PM बजे

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान श्री 0 सुबोध कुमार, पदनाम - रजिस्ट्रार, कबीर हिन्दू विश्वविद्यालय, बाराणसी (BHU) 495

N 25° 16' 20.64" E 82° 59' 10.044"

साक्षी का नाम 1- राजेश कुमार, क्षेत्रीय प्रति वनाधिकारी कबीर रेन्ज, 2- राजकुमार गौतम, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी बाराणसी रेन्ज, 3- स्वयं

कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 23/10/2024 कबीर हिन्दू विश्वविद्यालय बाराणसी परीक्षार में निम्न प्रकार वृक्ष अवैध रूप से काटे गए साक्ष्य पाया जाना।

विवरण. धारा (12) अदक वृक्ष अवैध पारन जिसका पूर्ण विवरण संलग्न है। मद्येय,

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परीक्षार में प्रकरण प्रकाश में आया कि अवैध वृक्ष पारन BHU परीक्षार के अन्तर्गत किया गया है। तत्काल कु.सं. (2) पर वर्णित गण के साथ मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया तो अतिक्रमण द्वारा वृक्ष काटे जाने के साक्ष्य पाये गये। काटे गए वृक्षों के गोल छिद्रों में मिलान किया गया वमा दिये गये पारन अनुज्ञा के मिलान से स्पष्ट हुआ कि उन्हे वृक्षों का कोई पारन परमिट विभाग से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लिया गया है। कुछ वृक्षों के केवल छूट गोल छिद्र पाये गये जिसका प्रमाण मौके पर नहीं मिला। इस प्रकार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा अवैध रूप से वृक्ष काटे गये हैं तथा अवैध अभिवहन किया गया है। इनके लिए संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 व 305 के सम्बन्ध में विशेष कथन की धारा 3/28 का उल्लंघन किया गया। तत्काल मौके पर वृक्षों को बरामद कर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण को सुपुर्देगी में दिया जाना चाहा गया परन्तु नहीं किया गया। समस्त वृक्षों को छूट गोल छिद्रों का GPS सहित फोटोसाई लिया गया है। जो समय में संलग्न है। तत्काल उपरोक्त के विरुद्ध HC केस जारी किया गया। अतः प्रथम अनुज्ञा रिपोर्ट सीमान्त की है वनाभे भाषण किये जाही

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) द्वारा लकड़ी व अन्य वन उपज के अतिक्रमण विनियम 1978 के सम्बन्ध में विशेष कथन की धारा 3/28 का उल्लंघन किया गया। तत्काल मौके पर वृक्षों को बरामद कर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण को सुपुर्देगी में दिया जाना चाहा गया परन्तु नहीं किया गया। समस्त वृक्षों को छूट गोल छिद्रों का GPS सहित फोटोसाई लिया गया है। जो समय में संलग्न है। तत्काल उपरोक्त के विरुद्ध HC केस जारी किया गया। अतः प्रथम अनुज्ञा रिपोर्ट सीमान्त की है वनाभे भाषण किये जाही

प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण हेतु प्रेषित। आदि का उल्लेख

राहुल कुमार ठाकुर P.T.O. 23/10/2024 उदय कृष्ण चतुर्वेदि U.K. Chaturvedi N.13373/17 NOTARY GOVT OF INDIA

सं. नं.

दि.

आम

यहां में प्रकृत आदेशों को सुनना कि एवं  
आवश्यक कार्यवाही एवं प्रेषित। जोच  
राष्ट्रियारी नीतियों को प्रयोगित एवं को  
आश्रित किया गया है।

प. व. प. १११५  
राष्ट्रीय न्यायिक सेवा  
प्रधानी भवन

D. C. No - 78/43/24-25, काणपुरी

श्री रामसुभा शोभा, P.R.O.

श्री अशोक जैन रिपोर्ट D.C.O. के माध्यम

से शीघ्र उपलब्ध कराये।

प्रभाषि विनीयकारी

- 1. श्री रामसुभा शोभा 20/10/2024
- 2. श्री अशोक जैन 20/10/2024
- 3. श्री प्रभाषि विनीयकारी 20/10/2024
- 4. श्री ... 20/10/2024
- 5. श्री ... 20/10/2024
- 6. श्री ... 20/10/2024
- 7. श्री रामसुभा 20/10/2024
- 8. श्री ... 20/10/2024
- 9. श्री ... 20/10/2024
- 10. श्री ... 20/10/2024
- 11. श्री ... 20/10/2024
- 12. श्री ... 20/10/2024

वदना  
श्री रामसुभा शोभा



Sawabhi

प्रकार	बोटा क्रमांक	लम्बाई (मी०मे)	गोलाई (मी०मे)	स्वयं का नाम	श्रेणी
आम	01	3.05	2.50	श्री निवास रामानुजम बाबावाल	
	02	1.92	1.60	— " —	
	03	1.05	0.99	— " —	
	04	1.66	0.75	— " —	
	05	1.30	0.90	— " —	
	06	1.92	2.00	— " —	
	07	1.40	1.70	— " —	
	08	1.32	0.99	— " —	
2. आम	01	2.80	2.40	विमान संभान के पास	
	02	0.70	2.39	— " —	
	03	1.50	2.00	— " —	
	04	1.35	1.90	— " —	
3. आम	01	2.09	2.75	सरोजनी नाथु बाबावाल	शोध प्रकल्प जलसंधि जायव है।
4. गोल्डमोहर	01	0.91	2.40	सिंह टाट के पास (BMP के गेट के पास (मुसलमान अस्पताल के विप)	शोध प्रकल्प जायव है।
5. गोल्डमोहर	01	1.10	1.70	दिसुड (गेट के पास)	शोध प्रकल्प जायव है।
	02	2.10	1.10	— " —	
6. महुआ	01	2.10	2.90	रती लक्ष्मी बहि बाबावाल के पास	
	02	1.40	2.60	— " —	
	03	1.20	1.40	— " —	
	04	1.15	1.75	— " —	
	05	1.95	1.10	— " —	
	06	1.90	1.25	— " —	
	07	1.85	1.10	— " —	
	08	2.45	1.92	— " —	
	09	1.45	1.91	— " —	
	10	1.92	1.90	— " —	
	11	1.40	1.55	— " —	
	12	1.55	1.37	— " —	
	13	1.90	1.11	— " —	



प्रजाति	बोटा क्रमांक	लंबाई (मी.)	गोलाई (मी.)	स्थल का नाम	अभियुक्ति
1. गहुआ	01	1.25	2.45	रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय	शोध प्रकाश गायक है।
	02	1.90	2.05		
	03	1.85	1.57		

उपर्युक्त अतिदीर्घ जड. ने लगे हुए भी गोलाई पाई गई।

क्र. संख्या	प्रजाति	बूट की गोलाई	स्थल का नाम	अभियुक्ति
1.	आम	1.80	जमिनाता गहुआ (अमल दुकरन के पास)	शोध प्रकाश गायक है।
2.	आम	1.82	— " —	— " —
3.	आम	2.05	— " —	— " —
4.	गोल्डमोहर	2.81	विहंग्रा के पास (BHU गैर गेट के बाबुन्दरालाख भावपतल के किनारे)	शोध प्रकाश गायक है।
5.	कदहल	1.95	हेल्म (नेन्टा के पास)	शोध प्रकाश गायक है।

उपर्युक्त  
(रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय, 9/1)



Sauvagini



संक्रमक- 10

## कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी

(वन भवन, एच0आई0जी0-33,अशोक बिहार कालोनी फेज-1 पहड़िया वाराणसी-221007)  
E-Mail-cfvaranasi2@yahoo.com, cfva-up@nlc.in दूरभाष-0542-2585444

सेवा में

पत्रांक-1053 /2-43, दिनांक वाराणसी, अक्टूबर, 15- 2024

डा0 प्राची गंगवार,  
उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय)  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारत सरकार लखनऊ ।

विषय:- O.A.No.928 of 2024 titled as Saurabh Tiwari vs Union of India & ors before The Hon'ble N G T, New Delhi-reg.

संदर्भ:- आपका पत्रांक File No.L-1330/यू0पी0/2024/190 दिनांक-03-09-2024, व File No.L-1330/ यू0पी0/2024/178 दिनांक-09-08-2024 ।

सर्वे महोदया,

8

15.10.24

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें मूल वाद संख्या-928/2024 में शिकायतकर्ता श्री सौरभ तिवारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है कि, " बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी के 1300 एकड़ परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ मौजूद थे, जिसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गयी है। जिसमें सागौन, आम आदि के वृक्षों काटे गये हैं यहाँ तक की चन्दन के पेड़ भी काटे गये हैं " याची द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा यह झूठा तर्क दिया जा रहा है कि उनके द्वारा उक्त काटे गये वृक्षों के एवज में कई वृक्ष लगाये गये हैं याची ने अपने याचिका प्रार्थना के साथ विभिन्न फोटोग्राफ्स एवं GPS Coordinates अपने तथ्य को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। मा0 ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक-31.07.2024 को इस संदर्भ में एक आदेश पारित किया गया है, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार से है।

- 5- In order to ascertain the truthfulness of the allegation and also the extent of trees which have been cut, if any permission was obtained before cutting of trees and if any compensatory plantation has been done, we deem it proper to form a committee comprising of RO, MoEF and CC Lucknow and Divisional Forest Officer, Varanasi who will act as the coordinating agency.
- 6- The Two Member committee will visit the site and ascertain the correct position keeping in view the observations made above and will submit report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.
- 7- List on 11.11.2024.



Rame

Saurabh Tiwari

जिसके क्रम में आप द्वारा अपने पत्रांक-L-1330/यू0पी0/2024/190 दिनांक-03-09-2024 द्वारा अधोहस्ताक्षरी से इस सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण करते हुए एक प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में दिनांक 03.10.2024 को स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:-

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लगभग 1300 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में जनपद वाराणसी, उ0 प्र0 में अवस्थित एक केन्द्रीय विश्व विद्यालय है जिसमें कई संकाय, विभाग, म्यूजियम, मन्दिर व हास्पिटल स्थित है। उक्त कैम्पस में विगत वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में विश्व विद्यालय प्रशासन, द्वारा माँगे गये कुल वृक्षों की अनुमति एवं वन विभाग द्वारा जारी की गयी कुल पातन अनुज्ञा प्रपत्रों तथा उक्त अनुज्ञा के एवज में विश्व विद्यालय द्वारा लगाये गये, पौधों के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक-659/2-43, दिनांक-04.09.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी से माँगी गयी है। इस सम्बन्ध में उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक-659/2-43, दिनांक-04.09.2024 द्वारा कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय से भी माँगी गयी है। इसके सम्बन्ध में कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक-R/P/2024-25/360 दिनांक-05.10.2024 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विगत वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में काशी हिन्दू विश्व विद्यालय द्वारा कुल काटे गये वृक्षों की संख्या प्रजातिवार वन विभाग द्वारा जारी पातन अनुज्ञा व उक्त के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के क्रम में लगाये गये वृक्षों का प्रजातिवार विवरण व स्थल का विवरण जहाँ पौधे लगाये गये हैं को तालिका में दर्शाया गया है जिसमें कुल 152 वृक्षों का पातन बताया गया है, व कुल 1607 वृक्षों का रोपण क्षतिपूरक वृक्षारोपण में किया गया है (तालिका संलग्नक-1)।

प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक-1581/29-1, दिनांक-14.10.2024 द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा कुल सचिव, द्वारा प्रस्तुत आख्या की स्थलीय जाँच करते हुए अवगत कराया है कि विश्व विद्यालय परिसर में वर्ष-2022-23, 2023-24 व 2024-25 (वर्तमान तक) कुल 161 वृक्षों का पातन किया गया है जिसके सापेक्ष कुल 1630 पौधों का रोपण विश्व विद्यालय द्वारा किया गया है, परन्तु प्रभागीय अभिलेखों की जाँच करने पर 2022-23, 2023-24 व 2024-25 तक कुल 135 वृक्षों के पातन अनुमति वन विभाग के द्वारा निर्गत की गयी है, इस प्रकार कुल  $(161-135=26)$  26 वृक्ष ऐसे हैं जिनकी पातन अनुज्ञा विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी से प्राप्त नहीं की गयी हैं।

इसके अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि विश्व विद्यालय परिसर में द्रव्य गुण विभाग के परिक्षेत्र से कुल 07 चन्दन (*Santalum altum*) के वृक्षों के अवैध पातन के प्रमाण भी मिले हैं एवं वन विभाग की टीम द्वारा उक्त अवैध कटे वृक्षों के दूठ की गोलाई व जी0पी0एस0 लोकेशन अंकित किया गया है। उक्त चन्दन के वृक्षों के सम्बन्ध में विश्व विद्यालय प्रशासन, से पूछ-ताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त वृक्ष दिनांक-13.10.2023 को चोरी कर लिए गये थे, एवं सम्पूर्ण लकड़ी गायब कर दी गयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में सहायक सुरक्षा अधिकारी, द्वारा थाना-लंका, वाराणसी में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है, (संलग्नक-2) परन्तु कहीं भी चन्दन प्रजाति का उल्लेख सुरक्षा अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। उनके द्वारा केवल कीमती पेड़ चोरी होने के सम्बन्ध में शिकायत की



*Sawabh*

*Sawabh*

गयी है। उक्त प्राथमिकी में लकड़ी का प्रकार व मूल्य भी दर्ज नहीं कराया गया है एवं ना ही इसकी कोई सूचना वन विभाग को विश्व विद्यालय प्रशासन, द्वारा दी गयी है। जबकि विश्व विद्यालय का उक्त स्थल पर 24 घण्टे सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, सी0सी0 टी0वी0 कैमरा भी लगा हुआ है व विश्व विद्यालय के प्रत्येक गेट पर कोई भी सामान बाहर ना ले जाने हेतु सुरक्षा की व्यवस्था विश्व विद्यालय द्वारा की गयी है तो यह घटना संदेहस्पद है किस प्रकार चोर द्वारा उक्त चन्दन के वृक्षों को काट कर रातों रात सम्पूर्ण प्रकाष्ठ को गायब कर दिया गया है एवं इस सम्बन्ध में विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी उपयुक्त प्रयास चारों को पकड़ने व कीमती प्रकाष्ठ को बरामद करने के लिए नहीं किया गया। इस प्रकार चन्दन के विषय में याची का कथन व शिकायत पूर्ण सिद्ध होती है एवं इसके अतिरिक्त अन्य प्रजाति के वृक्षों हेतु 26 वृक्षों के पातन अनुज्ञा विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत न किये जा सकने पर उक्त शिकायत इस प्रकरण में आंशिक सिद्ध होती है। अवैध रूप से काटे गये चन्दन के वृक्षों की सारणी संलग्न है (संलग्नक-3)।

भवदीया,

(डा० रवि कुमार सिंह)

वन संरक्षक

वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

संख्या-1053 (1)/ समदिनांकित ।

✓ प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।




(डा० रवि कुमार सिंह)

वन संरक्षक,

वाराणसी वृत्त, वाराणसी





संलग्नक- (11)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी.-36 अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स-0542 2585574

ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांक:- 1802 /29-1,

दिनांक, वाराणसी, अक्टूबर 26 2024 ।



रजिस्ट्रार,

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के सम्बन्ध में।

उक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत वाद में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में बिना सक्षम स्तर की अनुमति के वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में उपरोक्त वाद दाखिल है। विषयगत वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा दिनांक-31.07.2024 के पारित विस्तृत आदेश के बिन्दू संख्या-5 में अंकित कमेटी के द्वारा बी.एच.यू. परिसर में पातन किये गये वृक्षों एवं बी.एच.यू. परिसर में वृक्षारोपण किये गये पौधों के सम्बन्ध में जांच/निरीक्षण करने के आदेश हैं। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 की अनुपालना आख्या नियत तिथि दिनांक-11.11.2024 से पूर्व मा0 न्यायालय में दाखिल किया जाना है। विषयगत वाद में अन्य के साथ साथ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रतिवादी संख्या-02 हैं।

मा0 एन.जी.टी., न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनापलन के क्रम में उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी से बी.एच.यू. परिसर में काटे गये वृक्षों एवं इसके सापेक्ष वृक्षारोपण किये गये पौधों के सम्बन्ध में टीम गठित करते हुए स्थलीय निरीक्षण करके जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निदेश दिये गये थे। उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये आख्या/अभिलेखों के आधार पर विवरण निम्नवत है-

1. मा0 सरफराज आलम, उद्यान विशेषज्ञ इकाई, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक-12.09.2024 को प्रेषित सूचना के आधार पर बी.एच.यू. परिसर में वर्ष 2022-23 से 2023-24 एवं 2024-25 तक कुल 152 वृक्षों की अनुज्ञा पत्र प्राप्त करके उसमें से 149 वृक्षों का पातन किया गया है। 152 वृक्षों में से शेष 03 वृक्षों का पातन किया जाना है, परन्तु मौके पर 03 वृक्षों की स्पष्टता नहीं है।
2. जांच करवाने पर पाया गया कि बी.एच.यू. परिसर में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में पातित वृक्ष के सापेक्ष रोपित पौधों की टीम बनाकर स्थलीय सत्यापन करायी गयी। सत्यापन में प्रेषित आख्या के आधार पर वर्ष 2022-23 व 2023-24 में 149 वृक्षों का पातन किया गया जिसके सापेक्ष 1498 पौधरोपण किया गया।
3. प्रभागीय अभिलेखों के आधार पर वर्ष 2022 से 2024 तक कुल 135 वृक्षों के पातन से सम्बन्धित अनुमति पत्र निर्गत किये गये हैं। इस प्रकार उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के द्वारा गठित टीम के द्वारा पातन किये गये वृक्षों की संख्या-149 के सापेक्ष 135 वृक्षों की पातन अनुमति प्राप्त की गयी, जबकि  $(149-135=14)$  14 वृक्षों के पातन की अनुमति बी.एच.यू. प्रशासन के द्वारा वन विभाग से प्राप्त नहीं की गयी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा 14 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।



CS CamScanner

Sawabhi Jais

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी आड्या के आधार पर एवं प्रभागीय अभिलेखों के आधार पर वर्ष 2022 से 2024 तक 135 वृक्षों के पातन अनुमति प्रभागीय कार्यालय द्वारा निर्गत किये गये हैं जिसके सापेक्ष जांच टीम को बी.एच.यू. परिसर में क्रमशः 1498 एवं 132 पौधों कुल 1630 पौधों का वृक्षारोपण किये जाने पाया गया।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी द्वारा गठित टीम के द्वारा बी.एच.यू. परिसर के स्थलीय निरीक्षण में दिनांक-07.10.2024 को आम 06, गोलड मोहर 03, कटहल 01, गहुआ 02 कुल 12 वृक्षों का अवैध पातन पाया गया। इन वृक्षों के पातन अनुमति बी.एच.यू. प्रशासन द्वारा वन विभाग से नहीं प्राप्त की गयी है। इस अवैध पातन के सम्बन्ध में बी.एच.यू. प्रशासन के विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के सुसंगत प्राविधानों के तहत प्रो० अरुण कुमार सिंह, रजिस्ट्रार, बी.एच.यू. वाराणसी के नाम से वन अपराध संख्या-43/2024-25, दिनांक-23.10.2024 पंजीकृत किये गया है।
3. जांच में पाया गया कि बी.एच.यू. परिसर में द्रव्य गुण विभाग के परिसर में कुल 07 सफेद चन्दन के वृक्षों के पातन के ठूँठ मिले जिनके पातन सम्बन्धी किसी प्रकार की सूचना प्रभागीय कार्यालय वाराणसी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह गम्भीर प्रकरण से इस कार्यालय को अवगत कराते हुए इसके पातन सम्बन्धित अनुमति पत्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त करना अपेक्षित है।
4. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित पत्र दिनांक-22.10.2024 के साथ एफ.आई.आर. दिनांक-06.10.2018 एवं 23.10.2023 प्रेषित किये गये हैं जिसके अवलोकन से पता चला कि विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक-03.10.2018 को 04 चन्दन के पेड़ काटे गये हैं तथा कटी गयी लकड़ी चुरा ली गयी है तथा एफ.आई.आर. दिनांक-23.10.2023 में द्रव्य गुण विभाग में 03 किमती पेड़ काटे गये हैं, अतः 04 पेड़ काटे गये हैं और मौके से लकड़ी गायब है, अवगत कराया गया।
5. बी.एच.यू. प्रशासन के द्वारा बी.एच.यू. परिसर में दिनांक-03.10.2018 को अवैध रूप से 04 पेड़ चन्दन का अवैध रूप से पातन एवं समस्त लकड़ी चोरी हो जाने तथा पुनः दिनांक-23.10.2023 को 03 पेड़ कीमती काटे गये अतः 04 पेड़ काटे गये और लकड़ी गायब है बी.एच.यू. प्रशासन द्वारा प्रेषित प्राथमिकी में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में चन्दन पेड़ के अवैध कटान होने के उपरान्त भी बी.एच.यू. प्रशासन के द्वारा अवैध कटान को गम्भीरता न लेने के परिणामस्वरूप ही उसी परिसर में पुनः अवैध कटान होना एक गम्भीर विषय है। बी.एच.यू. परिसर में चन्दन जैसे संवेदनशील वृक्षों का 02 बार अवैध पातन होने के उपरान्त भी वन विभाग को इस अवैध कटान के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।
6. बी.एच.यू. में निरीक्षण के दौरान बातों करने पर पाया गया कि बी.एच.यू. परिसर में स्थित वृक्षों की डालों की छाटाई की अनुमति नहीं ली जाती है। इस सम्बन्ध में बी.एच.यू. प्रशासन को अवगत कराया गया कि परिसर में स्थित वृक्षों की डालों की छाटाई/कटान एवं वृक्षों की पातन के सम्बन्ध में वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पातन किया जाय, ताकि वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।



CamScanner

Saulabh Prasad

10. दिनांक-24.10.2024 को भारत सरकार एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन की उप महानिरीक्षक, वन संरक्षक (वाराणसी वृत्त वाराणसी), प्रभागीय वनाधिकारी (वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय स्टाफ के साथ बी.एच.यू. परिसर में पातित वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में बी.एच.यू. प्रशासन के प्रतिनिधि प्रो० इंयार्ज सरफराज आलम, उद्यान विशेषज्ञ इकाई, श्री अश्वनी कुमार देशवाल, उद्यान विशेषज्ञ अधिकारी, प्रो० वी. राम, द्रव्य गुण विभाग, आई.एम.एस. बी.एच.यू. एवं श्री रामजन्म राम, माली उपस्थित थे। बी.एच.यू. प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि बी.एच.यू. परिसर में वृक्षों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आन्तरिक टीम गठित है जिसके द्वारा वृक्षों की निगरानी का अनुश्रवण किया जाता है। बी.एच.यू. प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि बी.एच.यू. प्रशासन द्वारा वृक्षों की सुरक्षा के सम्बन्ध में गठित टीम एवं बी.एच.यू. प्रशासन द्वारा काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या अभिलेखीय साक्ष्यों सहित दिनांक-28.10.2024 तक प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

11. उपरोक्त सम्बन्ध में समस्त अभिलेखों/गठित टीम द्वारा प्रस्तुत किये गये आख्या के आधार पर बी.एच.यू. प्रशासन द्वारा क्रमशः 14 एवं 12 वृक्षों कुल 26 वृक्षों की पातन अनुमति वन विभाग से प्राप्त नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में बी.एच.यू. प्रशासन दिनांक-28.10.2024 तक तत्कालीन स्पष्ट आख्या अभिलेखीय साक्ष्यों सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि विषयगत अतिमहत्वपूर्ण प्रकरण में मा० एन.जी.टी. न्यायालय का आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन में नियत तिथि दिनांक- 11.11.2024 से पूर्व अनुपालन आख्या दाखिल करने की कार्यवाही की जा सके।

भवदीया,



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

पत्रांक: 1802 /समदिनांकित

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप महा निरीक्षक(केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।



Sawab Rani

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-

928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में

पैरावाइज नोटिव:-

प्रस्तर संख्या-1

वादी का कथन आंशिक रूप से सत्य है क्योंकि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के एवं विभागीय अभिलेखों के उद्धरण एवं स्थलीय निरीक्षण के अनुसार वर्ष 2022, 2023 व 2024 तक फुल वन विभाग द्वारा 135 वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी द्वारा निर्गत की गयी है जबकि वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा 161 वृक्षों का पातन किया गया है। इसके अतिरिक्त काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के द्रव्यगुण विभाग के परिसर में चन्दन के 07 वृक्षों सफेद चन्दन की बूट के पातन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

प्रस्तर संख्या-2

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा वन विभाग से 135 वृक्षों का पातन अनुज्ञा प्राप्त कर कुल 168 वृक्ष आम, सागौन, यूकेलिप्टस, नीम, महुआ, शीशम, चन्दन आदि वृक्षों का पातन किया गया है जिसके एवज में 1630 क्षतिपूरक पौधों का रोपण किया गया है।

प्रस्तर संख्या-3

वादी का कथन असत्य है क्योंकि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा काटे गये 168 वृक्षों के सापेक्ष 1630 पौधों का रोपण किया गया है।

प्रस्तर संख्या-4

वृक्षों के पातन एवं वृक्षारोपण से सम्बन्धित जांच प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के स्तर से जांच कमेटी बनाकर कर ली गयी है।

प्रस्तर संख्या-5

टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्तर संख्या-6

मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सम्बन्धित है। टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तर संख्या-7

अभिलेखों से सम्बन्धित है। टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तर संख्या-8

मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सम्बन्धित है। टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तर संख्या-9


टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी





56

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-  
ओ.ए.-928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य  
के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोपरान्त जांच आख्या-

मूल वाद संख्या-928/2024 में वादी श्री सौरभ तिवारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है कि "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के 1300 एकड़ परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ मौजूद थे, जिसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गयी है, जिससे सागौन आम आदि के वृक्ष काटे गये हैं यहां तक की चन्दन के पेड़ भी काटे गये हैं।" याची द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह झूठा तर्क दिया जा रहा है कि उनके द्वारा उक्त काटे गये वृक्षों के एवज में कई वृक्ष लगाये गये हैं। याची ने अपने याचिका प्रार्थना पत्र के साथ विभिन्न फोटोग्राफ एवं जी.पी.एस. कोऑर्डिनेट्स अपने तथ्य को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक-31.07.2024 को इस सन्दर्भ में एक आदेश पारित किया गया है, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार हैं-

5. In order to ascertain the truthfulness of the allegation and also the extent of trees which have been cut, if any permission was obtain before cutting of trees and if any compensatory plantation has been done, we deem it proper to form a committee comprising of RO, MoEF and CC Lucknow and Divisional Forest Officer, Varanasi who will act as the coordinating agency.
6. The Two Member committee will visit the site and ascertain the correct position keeping in view the observations made above and will submit report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.
7. List on 11.11.2024.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त वाद में पारित आदेश दिनांक- 31.07.2024 के अनुपालन के क्रम में दिनांक-24.10.2024 को उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय पर्यावरण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ, वन संरक्षक वाराणसी वृत्त, वाराणसी, प्रभागीय धनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी एवं वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मी तथा वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रतिनिधि प्रो0 इंचारज सरफराज आलम, उद्यान विशेषज्ञ इकाई, श्री अश्वनी फुगार देशवाल, उद्यान विशेषज्ञ अधिकारी, प्रो0 वी. राम द्रव्य गुण विभाग, आई.एम.एस. वी.एच.यू. एवं श्री राज जन्म राम गाली की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया।



Saurabh Tiwari

स्थलीय निरीक्षण में विश्वविद्यालय परिसर में 07 चन्दन के वृक्षों एवं 12 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का पातन होना पाया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के उपस्थित प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 07 चन्दन के वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वर्ष 2018 एवं 2023 में एफ.आई.आर. करायी गयी है, परन्तु इस अवैध पातन के सम्बन्ध में वन विभाग को सूचना नहीं दी गयी है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रजाति के 12 वृक्षों का अवैध पातन पाया गया जिसके पातन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं ली गयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में गठित टीम द्वारा स्थलीय सत्यापन में 1630 पौधों का वृक्षारोपण पाया गया।


निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के उपस्थित प्रतिनिधि से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा व्यवस्था एवं विश्वविद्यालय परिसर के आवागमन हेतु स्थापित गेट पर तैनात सुरक्षा बल के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को अवगत कराने हेतु कहा गया।

विश्वविद्यालय परिसर चारों ओर से दिवारों से घिरा होने, विश्वविद्यालय परिसर में आवागमन हेतु स्थापित समस्त गेटों पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं सीसीटीवी कैमरे लगे होने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय परिसर में स्थित वृक्षों का अवैध पातन होना एवं समस्त प्रकाष्ठ चोरी हो जाना संदेहास्पद है। अतः माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में शिकायत कर्ता द्वारा दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में की गयी शिकायत सिद्ध होती है।



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।



(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय),

क्षेत्रीय कार्यालय

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

लखनऊ।



*Sauvabhaji*